सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 20/16 **निर्णय दिनांकः— 18.06.2019**

1. भीखाराम पुत्र धन्नाराम जाति खेरवाल निवासी लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मांगीलाल पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी भाडेरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर
दिनांक 13—04—2016

उपस्थितः—

1. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 13—04—2016 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम लूणकरनसर के खसरा नम्बर 823 में 24 बीघा खातेदारी भूमि निहित है। उक्त भूमि पर अपीलांट परिवार सहित ढाणी बनाकर निवास करता आ रहा है। इस भूमि पर कोई रास्ता नहीं है। रेस्पोडेन्ट का खेत खसरा नम्बर 822 तादादी 23 बीघा अपीलांट के खेत से पूर्व की दिशा में स्थित है। उक्त खेत खसरा नम्बर 822 का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एक मात्र खातेदार नहीं है। बल्कि सह खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी सह खातेदारों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया वरन् मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र कानून के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत होने से संधारण योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उसकी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 822 में आवागमन हेतु पूर्व से ही खेत खसरा नम्बर 821 की उत्तरी सींव से रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के नियम 69 का अवलोकन व पालना किये बिना ही रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस संबंध में पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश प्रसारित किये गये थे कि संबंधित तहसीलदार से मौके की जॉच की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध

है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ाा में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान जनरल कालोनी कण्डीशन्स 1955 की शर्त 8 (2) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम रोही लूणकरनसर के खेत खसरा नम्बर 822 में 23 बीघा भूमि जिस पर प्रार्थी व उसका पूरा परिवार लम्बे अर्से से काबिज काश्त है तथा मौके पर मकान करनाकर मय पशुधन रहवास कर रही है। उक्त भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा उसे अपनी भूमि काश्त करने के लिए पड़ौसियों की मर्जी का मोहताज होना पड़ता है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 20—06—2013 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 823 की उत्तरी सीमा में 4 बीघा 8 जरीब जम्बर 02—02 बिस्वा प्रत्येक बीघा में कुल 8 बीघा रास्ता स्वीकृत किया गया तथा साथ ही रास्ते की भूमि की कीमत डीएलसी दर से दुगनी का भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान

किये गये। उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उक्त आदेश की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा उक्त मौका रिपोर्ट में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौके पर कौन–कौन से रास्ते भौतिक एवं वास्तविक रूप से चालू है तथा यह भी अंकित किया गया कि प्रार्थी को अपने खेत मे आवागमन हेतु कोई कटानी रास्ता नहीं है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए खेत खसरा नम्बर 823 में से रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की अवहेलना करते हुए मौके पर टीन चदर आदि डालकर निर्माण कार्य किया गया है। रेस्पोडेन्ट का उक्त कृत्य न्याय को निष्फल करने की चेष्टा में किया गया कृत्य है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। अपीलांट/प्रार्थी अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अभिभाषक रेस्पेडेन्ट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 13—04—2016 के विरूद्व पेश की हैं जिसके तहत अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 823 की उत्तरी सीमा में रास्ता स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट/आवेदक द्वारा इस बाबत् एक प्रार्थना पत्र धारा 251 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसे मंजूर करते हुए दिनांक 20—06—2012 को परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिये थे, जिसकी अपील इस न्यायालय में पेश होने पर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने के उपरान्त विधि सम्मत आदेश जारी करने के लिए परीक्षण न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। परीक्षण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की और से हल्का पटवारी तथा नायब तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 823 की उत्तरी सीमा पर पक्का मकान बना हुआ पाया गया, जो करीब दो वर्ष पुराना होना बताया गया तथा खसरा नम्बर 822 में जाने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं होना बताया गया।

उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 13—04—2016 को पुनः आदेश पारित किया गया कि न्यायालय में अपील विचाराधीन रहने के दौरान किये गये निर्माण को हटाकर रास्ते हेतु निशानदेही दी जावे। उक्त आदेश की यह पुनः अपील पेश किये जाने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रथम बार सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि वह खसरा नम्बर 823 की उत्तरी सीमा पर रास्ता देने को तैयार है, बशर्ते रेस्पोडेन्ट मांगीलाल द्वारा खसरा नम्बर 823 के चिपते हुए खसरा नम्बर 822 में से रास्ते के बराबर की भूमि अन्तरित करें। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट की उक्त शर्त मंजूर नहीं की तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तावित स्थान पर ही डीएलसी दर की दुगनी दरों पर रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय में अपील विचाराधीन रहते हुए ही अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय के आदेश को प्रभावित करने के लिए रास्ते हेतु प्रस्तावित स्थान पर पक्का निर्माण कर लिया। यह निर्माण वाद तथा अपील विचाराधीन होन के दौरान ही किया गया है क्योंकि आवेदक द्वारा प्रथम

बार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब में अपीलांट ने ऐसे किसी निर्माण का उल्लेख नहीं किया है।

विचाराधीन प्रकरण की मूल आवेदक, अपीलांट के जवाब तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदक अपीलांट के खसरा नम्बर 823 से ही रास्ता लेने तथा रेस्पोडेन्ट/अनादेवक उक्त स्थान से रास्ता नहीं देने के लिए आमदा है। रास्ता उपलब्ध करवाने के संबंध में टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 में स्पष्ट प्रावधान होने की स्थिति में अपीलांट भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ते हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है परन्तु दूसरी और उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कर रास्ता अवरूद्व कर दिया गया है। अपीलांट का यह आचरण कानून तथा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का आदेश दिनांक 13—04—2016 यथावत बहाल रखा जाकर अपीलाधीन आदेश की कियान्विती के आदेश दिये जाते है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर